न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– बूटासिंह पुत्र श्री मेहरसिंह जाति रायसिख निवासी 34 एस.टी.जी. पुलिस थाना पीलीबंगा तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

———अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक

———रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :– श्री ओम प्रकाश आचार्य अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :– श्री चतुर्भुज सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.10.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 28.03.2017 जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 18/2005 डीएम हनुमानगढ निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 18/2005 डीएम हनुमानगढ बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 3297 दर्ज है तथा दिनांक 19.12.2012 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 09.01.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.02.2017 में अपीलांट के उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने की अनुशंषा की गयी है। अपीलांट द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने हेतु आवेदन पत्र लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। नवीनीकरण प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कारण बयान किये, उन्हें असंतोषजनक मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2017 पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 18/2005 डीएम हनुमानगढ को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र का समय पर विलम्ब नहीं करवा सका, क्योंकि वह कुछ समय बीमार रहा था और कुछ समय भूलवश देरी हो गई। अपीलांट परिवार सहित दिहाड़ी मजदूरी एवं जीवन यापन हेतु पिछले 3 वर्षो से मोहनगढ तहसील चला गया था। इसके अलावा चुनावी कार्यक्रम के दौरान हथियार पीलीबंगा थाने में जमा करवा देने के कारण उसे आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण का ज्ञान नहीं रहा। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना माईण्ड एप्लाई किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश Speaking Order की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई Reason व Grounds अपने आदेश में अंकित नहीं किये हैं। Licensing Authority एक Quasi Judicial Authority है। उसे अपने आदेश में Reason व Grounds अंकित करना अनिवार्य है। अपीलांट ने नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र जानबूझ कर देरी से प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि उसकी मजबूरी रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अत्यधिक विलम्ब लगभग 5 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्रों में जो कारण अंकित किये हैं, वे मनगढंत व बनावटी प्रतीत होते हैं। कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किये है। अपीलांट इसमें दोषी रहा है, जो शस्त्र अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अंकित कारणों को सही मानते हुए विलम्ब को Condone कर अपील अपीलांट सुनवाई हेतु स्वीकार की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रुप से कथन किया है कि अपीलांट के कुछ समय बीमार रहने एवं कुछ समय भूलवश अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करवाने में असमर्थ रहा।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इसके बाद यह भी कथन किया गया है कि अपीलांट देहाड़ी मजदूर है और वह अपने जीवन–यापन व मजदूरी के लिये 3 वर्षो तक मोहनगढ तहसील चला गया था। साथ ही चुनावी कार्यक्रम के दौरान उसका शस्त्र पुलिस थाना में जमा होने के कारण भूल हो गई। परन्तु विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया है कि अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्रों में जो कारण अंकित किये हैं, वे मनगढंत व बनावटी प्रतीत होते हैं। कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किये है। अपीलांट इसमें दोषी रहा है, जो शस्त्र अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विपरीत है, जिससे हम सहमत हैं। इसके अलावा अपीलांट द्वारा हमारे समक्ष अन्य कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिन पर विचार किया जा सके। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:44:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: